

प्रार्थक अश्विनी, मुख्य प्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा- शाहपुर  
तः 10 करेडा की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वितीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण  
और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रस्तुत किया। निम्न प्रार्थी  
अधिवक्ता ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थीगण को ऋण संहिता  
प्रदान की थी। उक्त ऋण के पट्टे में प्रतिभूति के बतौर अप्रार्थी संख्या 03 श्री देवकरण पिता  
काना वमार नि 0 बोलिया तः 0 शाहपुर ने अपने स्वयं के खातेदारी की आः 0 5731/393 में  
से 2500 वर्गमीटर भूमि का प्राधिकृत अधिकायी उपखण्ड अधिकायी, शाहपुर के आवासीय  
प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन आदेश क्रमांक 4/11 दिनांक 13.01.2011 से उक्त संपरिवर्तन रकब  
को 50 नयना फर्गल इण्डस्ट्रीज प्राः 0 श्री जितेन्द्र कुमार पिता दुर्गाप्रसाद काठया निवासी  
प्लॉट नं 13 मुख्य डाकघर के पास, विकास नगर, आशीन्द रोड, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा के

दिनांक : 14/08/2018

### निर्णय

उपस्थितः— श्रीमान् प्रकाश शिक्षा-अधिवक्ता प्रार्थी

### और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

### प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वितीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण

—अप्रार्थीगण

1. श्री नयना फर्गल इण्डस्ट्रीज प्राः 0 जितेन्द्र कुमार काठया पिता दुर्गाप्रसाद काठया निवासी फर्गल-दुर्गा रोड, बौराडा, ग्राम डोकाला भीलवाड़ा रोड, तः 0 शाहपुरा
2. श्री कलशचन्द्र पिता चन्दनमल काठया नगर, आशीन्द रोड, शाहपुरा
3. श्री देवकरण पिता काना वमार निवासी बोलिया तः 0 शाहपुरा
4. श्री अविनाश पिता कन्हैयालाल जीनार निवासी सदर बाजार, शाहपुरा
5. श्री कन्हैयालाल पिता हरजी बैरवा निवासी साखरा पः 0 बोलिया तः 0 शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

—प्रार्थी

प्रार्थक अश्विनी, मुख्य प्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा- शाहपुरा

उत्तरान

पकरण संख्या : 140/2018 प्रार्थना पत्र

### पीठासीन अधिकायी शशि त्यागी (आइ.ए.एस.)

### न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा

जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा  
जिला कलेक्टर एवं  
(शिक्षण)

गया।

निर्णय आज दिनांक 14.08.2018 को लिखाया जाकर खले न्यायालय में सुनाया  
नम्बर से कम हो बाद तकमाल दायित्व दफतर हो।

कराने हेतु निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पञ्चावली फसल बंधन होकर  
व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा को पर्याप्त पुलिस जाणा भेडिया  
सक्षम न्यायालय का स्थानन आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वकत कानून  
पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहन रखी सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी  
31 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्मलवाया जावे। आदेश की  
आफ फाईनरिडियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिविलिटी इन्टरस्ट एक्ट 2002 की धारा  
कि प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को ही सिविलिटी इन्टरस्ट एण्ड सेक्युरिटी एक्ट  
निर्णय की प्रति तहसीलदार शाहपुरा को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं

उत्तरदायित्व अधिकारी बैंक का होगा।  
नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त  
2. आदेश अधिकृत अधिकारी के बाण्ड-पत्र पर दिये जा रहे हैं यदि

आक्षेप प्राप्त होता है तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करवावे।  
1. रहनरखी सम्पत्ति का कब्जा लेकर सम्मलवाते वकत यदि नियमान्तर्गत

आदेश निम्न शर्तों पर दिए जाते हैं:-

पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा रहनरखी सम्पत्ति को प्रार्थी को सम्मलवाने के  
हे। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विवेचन कर उनके द्वारा दिये गये बाण्ड-पत्र के आधार  
अनुसार समस्त कार्यावाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थानन आदेश नहीं  
प्रार्थी अधिकृत अधिकारी उपस्थित आया एवं जाहिर किया कि नियमों के  
में रहन रखी गई साम्प्रिक बन्धक सम्पत्ति का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है।

प्रार्थी ने शर्तों के खाले को नो परफोर्समेंट एसेट्स घोषित कर दिया है। जिससे प्रार्थी के पक्ष  
अन्तर्गत पंजीकृत नॉटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थीगण ने शर्तों की अदायगी नहीं की।

वकत शर्तों की अदायगी के लिए वकत अधिनियम की धारा 13(2) के  
मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए शर्तों का भंगन नहीं किया गया।

अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में रहन रखा गया। अप्रार्थीगण के द्वारा तयशुदा शर्तों के  
गया। वकत आवासीय सम्पत्ति/भवन जो कि अप्रार्थी संख्या 03 के स्वामित्व की होने से  
पक्ष में भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग हैं को रहन रखा